डॉ॰ भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

दिनाँक 27.4.2017
पत्रांक–आर / 202 / 2017

सेवा में,
डा0ए0के0सिंह
महामंत्री,
डा0भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (औटा)
आगरा ।

महोदय,

दिनाँक 26 अप्रैल 2017 को आयोजित औटा की वृहद कार्यकारिणी की बैठक में लिये गये निर्णयों से कुलपति महोदय को अवगत कराने के सम्बन्ध में प्रस्तुत अपने पत्र दिनाँक 27.04.2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

उक्त सन्दर्भ में मुझे आपको यह अवगत कराने का निदेश हुआ है कि प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या–186 / सत्तर–1–2017–11(21) / 2005 टी0सी0 दिनाँक 31 मार्च 2017 द्वारा उत्तर प्रदेश के **समस्त राज्य विश्वविद्यालयों** और उनके घटक महाविद्यालयों, ,सहयुक्त महाविद्यालयों तथा **सम्बद्ध महाविद्यालयों की प्रत्येक सेवाओं में उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 (एस्मा)** के अधीन हड़ताल 30 जून 2017 तक निषिद्ध कर दी गयी है।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में यह भी सूच्य है कि चूँकि उक्त **'ऐस्मा'** को **विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की प्रत्येक सेवाओं में** प्रभावी किया गया है, अतः विश्वविद्यालय की प्रयोगात्मक ,मौखिक परीक्षाओं में **असहयोग / बहिष्कार करना**, **मूल्यांकन** में असहयोग करना विश्वविद्यालय की अत्यावश्यक सेवाओं में **बाधा उत्पन्न करना है** जो हड़ताल की श्रेणी के अन्तर्गत है एवं 'ऐस्मा' के **सुसंगत प्राविधानों को आकर्षित करता है** । सुलभ सन्दर्भ हेतु उक्त अधिसूचना की छायाप्रति संलग्न है ।

संलग्नक–यथोपरि ।

भवदीय
कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश ।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा।
3. डा0 अनुपम गोयल, प्राचार्य, आर0बी0एस0 कॉलेज, आगरा ।
4. डा0 पी0पी0सिंह,महामन्त्री, आर0बी0एस0टीचर्स एसोशिऐशन, आगरा ।
5. समस्त प्राचार्य / प्राचार्या, सम्बद्ध डा0बी0आर0अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा ।

कुलसचिव